LT-5915/73

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3(i) AS G.S.R.No. 1011 DATED 15-9-1973.

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi the 31st August, 1973
Bhadra 9, 1895 S.E.

N O T I F I C A T I O N

G.S.R. 1011 In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals(Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely, -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Fifth Amendment)Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in Schedule I, in FORM K, in Part VII, in clause 17, after the existing proviso to sub-clause (2), the following further proviso shall be added, namely, -

"Provided further that where the mortgagee is an institution or a Bank or a Corporation specified in Schedule V, it shall not be necessary for any such institution or Bank or Corppration to hold the said certificate of approval and the said income-tax clearance certificate."

No. 1(31)/71-M.VI

Sd/-
(J.L. Tandon)
Under Secretary to the Government of India.

(भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3(i) में दिनांक 15-9-73 को प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1973
9 भाद्र, 1895 (शक)

अधिसूचना

सा0 का0 नि0 1011 - खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (पंचम संशोधन) नियम, 1973 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में अनुसूची I के, भाग VII के प्रपत्र 'के' के खण्ड 17 में, उपखण्ड (2) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक जोड़ा जायगा, अर्थात्

"परन्तु यह भी शर्त है कि यदि अनुसूची V में विनिर्दिष्ट पंचकार कोई संस्था अथवा बैंक अथवा निगम है तो ऐसी किसी संस्था अथवा बैंक अथवा निगम के लिए उक्त अनुज्ञापन प्रमाणपत्र तथा उक्त आयकर अदायगी प्रमाणपत्र का होना आवश्यक नहीं होगा ।"

ह0
(जगमोहन लाल टण्डन)
अवर सचिव, भारत सरकार
सं0 1(31)/71-खान-6

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रायापुरी, नई दिल्ली ।